कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दुरभाष : 07759–221288, फैक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिंन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

फा.क्र. /राजस्व /तीन /2016–17 कोरबा, दिनांक 08/02/2017

आम–सूचना

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत स्थित 18 दैनिक साप्ताहिक एवं मवेशी आम बाजारों की आम नीलामी वित्तीय वर्ष 2017–2018 (01 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक) के लिए निगम कार्यालय साकेत भवन में दिनांक 21.02.2017 को दिन के 11.00 बजे रखी गई है। नीलामी की शर्ते निगम कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर देखी जा सकती है।

क्र.	बाजार का नाम	बाजार लगने का दिन	बोली बोलने के लिए निर्धारितअमानत राशि
1.	मुड़ापार आम बाजार	आम बाजार सोमवार एवं शनिवार	1,15,000/–
2.	बालको परसाभांठा आम बाजार एवं हटरी	आम बाजार मंगलवार, शुक्रवार एवं हटरी सभी दिन	1,45,000/–
3.	बुधवारी दैनिक आम बाजार (महिला समृद्धि दुकानों को छोड़कर	आम बाजार बुधवारी एवं दैनिक आम बाजार सभी दिन	1,20,000/–
4.	कोरबा ईतवारी आम बाजार एवं रोजिना हटरी	आम बाजार रविवार, गुरूवार रविवार, गुरूवार को छोड़कर हटरी सभी दिन	90,000/–
5.	बांकीमोंगरा आम बाजार एवं हटरी,	आम बाजार सोमवार एवं हटरी सभी दिन	80,000/–
6.	जमनीपाली आम बाजार,	मंगलवार एवं शनिवार	1,00,000/–
7.	भैरोताल आम बाजार	आम बाजार शनिवार	20,000/–
8.	कुसमुण्डा आम बाजार,	आम बाजार शुक्रवार	45,000/–
9.	जेल बस्ती आम बाजार,	आम बाजार सोमवार, गुरूवार	40,000/–
10.	दर्री आम बाजार एवं हटरी,	आम बाजार रविवार एवं हटरी सभी दिन	80,000/–
11.	घुड़देवा आम बाजार,	आम बाजार बुधवार	12,000/–
12.	बलगी आम बाजार	आम बाजार गुरूवार	14,000/–
13.	बांकी मोंगरा मवेशी आम बाजार,	आम बाजार सोमवार	5,000/–
14.	मानिकपुर आम बाजार,	आम बाजार मंगलवार, शुक्रवार	26,000/–
15.	गेवरा बस्ती आम बाजार,	आम बाजार गुरूवार	24,000/–
16.	चुनचुनी आम बाजार,	आम बाजार मंगलवार	28,000/–
17.	मनगांव आम बाजार,	आम बाजार रविवार	16,000/–
18.	नराईबोध आम बाजार	आम बाजार सोमवार	3,000/–

नोट :– अमानत राशि ड्राफ्ट या बैंकर चेक के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। जो आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पक्ष में देय होगा।

08/02/17

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

क्रमशः 2//

D:/Teejram. PM5

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दुरभाष : 07759–221288, फैक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को प्रत्येक उल्लेखित बाजारों के लिए अलग–अलग निर्धारित अमानत राशि ड्राफ्ट या बैंकर चेक के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा । जो आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के पक्ष में देय होगा ।
2. अनुमानित राशि से बोली कम आने पर नीलामी स्थगित करने का अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकार होगा ।
3. बोली समाप्त होने पर एक चौथाई राशि तत्काल जमा करना पडेगा एवं 01 चौथाई राशि 30 जून को जमा करना पड़ेगा । शेष राशि बराबर दो किश्तों में जमा करना पड़ेगा जिसके लिए 30 सितम्बर एवं 30 दिसम्बर को देय होगी एवं उच्चतम घोषकर्ता को उक्त देय तिथि के लिए किश्त राशि अग्रिम में 03 चेक भरकर (आयुक्त, न.पा.नि. कोरबा) के नाम पर देना होगा तत्पश्चात ही बाजार की अधिपत्य दिया जावेगा। अन्यथा जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी।
4. ठेकेदार द्वारा निर्धारित किश्त की राशि देय होने पर जमा न करने पर नगर पालिक निगम कोरबा को ठेका रद्द करने का अधिकार होगा ।
5. ठेकेदार नगर निगम परिशिष्ठ – 01 निर्धारित दरों पर ही बाजार की वसूली करेगा ।
6. बाजारों में किसी भी दुकानदारों को ठेकेदार द्वारा स्थान नियत नहीं किया जावेंगा । यह अधिकार नगर पालिक निगम कोरबा को होगा ।
7. ठेकेदार द्वारा बाजार शुल्क हेतु नगर पालिक निगम द्वारा प्रदत्त रसीदों, बाजार टिकटों का ही प्रयोग करेगा । जो आवश्यक राशि जमा करने पर आवश्यकतानुसार नगर पालिक निगम कार्यालय से प्राप्त होगा ।
8. नगर पालिक निगम द्वारा प्राप्त बाजार रसीदो एवं बाजार टिकटो का नियमित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र ठेकेदार को प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा ।
9. बाजार शुल्क वसूलीकर्ता की जानकारी ठेकेदार द्वारा अग्रिम रूप से निगम को देनी होगी तथा वसूलकर्ता को एक निर्धारित वेशभूषा बेच लगाना होगा ।
10. ठेंकेदार द्वारा अनियमितता बरतने पर ठेका निरस्त करने तथा अमानत राशि जप्त करने का अधिकार निगम को होगा ।
11. बाजार सीमा से बाहर वसूली करने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा ।
12. नीलामी समाप्त होने पर संबंधित ठेकेदार को एक अनुबंध पत्र मुद्रांकन अधिनियम अनुच्छेद 35 ख के तहत निर्धारित राशि के स्टाम्प पर करना होगा तथा शेष राशि की अदायती के संबंध में सक्षम व्यक्ति का एक जमानत नामा भी प्रस्तुत करना होगा । उसके उपरांत ही वसूली का अधिकार होगा।
13. ठेकेदार नगर निगम कार्यालय द्वारा समय –समय पर प्रसारित आदेशों के पालन के लिए बाध्य होगा अन्यथा निगम को अधिकार होगा की उसका ठेका निरस्त कर देवें ।
14. नीलामी पश्चात कोई छूट पाने या इस संबंध में दावा करने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।
15. नगर पालिक निगम के अधिकारी अथवा अधिकृत कर्मचारी समय–समय पर बाजार की वसूली कर जॉच कर सकेंगे तथा ठेकेदार द्वारा उनके कार्यकर्ता द्वारा इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति व हस्तक्षेप नहीं किया जावेंगा ।
16. ठेकेदार द्वारा निर्धारित किश्त की राशि निर्धारित अवधि में जमा न करने पर निगम को अधिकार होगा कि यह ठेका निरस्त कर देवें एवं अमानत राशि जप्त कर लेवें एवं शेष अवधि के लिए बाजार को पुनः नीलामी करें । निरस्त करने पर निगम के राजस्व में जो भी क्षति होगी उसकी वसूली ठेकेदार से करने का अधिकार निगम को होगा ।

क्रमशः..3 / /

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दुरभाष : 07759–221288, फैक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

17. नीलामी की बोली का अनुमोदन महापौर/प्रशासक/नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत् नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रदत्त किये जाने पर ही इसे अंतिम रूप से मान्य समझा जावेंगा ।
18. नीलामी के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर महापौर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम कोरबा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत/नियुक्त प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं पक्षकारों को मान्य होगा ।
19. उच्चतम घोषकर्ता की जमा अमानत राशि को अंतिम किश्त में समायोजना माना जावेगा।
20. ठेकेदार निगम द्वारा निर्धारित दरों (नीलामी शर्तो के परिशिष्ठ –01 के अनुसार ही) बाजार फीस की वसूली करेगा । साथ ही परिशिष्ठ –01 अनुसार बोर्ड बाजार में सर्व दर्शनीय स्थल पर अनिवार्य रूप से लगाना होगा ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

पृष्ठा क. /राजस्व / तीन /2016–17 कोरबा, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर कोरबा, बिलासपुर , रायपुर ,सरगुजा ,रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव , जॉजगीर चांपा को सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. अनुविभागीय अधिकारी, कोरबा ,कटघोरा एवं तहसीलदार कोरबा / कटघोरा को सूचनार्थ संप्रेषित।
3. आयुक्त , नगर पालिक निगम बिलासपुर , मुख्य नगर पालिका अधिकारी बिलासपुर ,शक्ति, कटघोरा , चांपा , खरसिया , जॉजगीर , अकलतरा , नैला , भांठापारा , दुर्ग , राजनांदगांव, कर्वधा, डोंगरगढ़ , अंबिकारपुर , धरमजयगढ़ , जशपुर को सूचनार्थ एवं सूचना फलक में प्रकाशनार्थ ।
4. श्री/श्रीमती————————————————————

   ग्राम————————————————————

   पो.आ. ————————————————————

   व्हाया ————————————————————

   जिला ——————————
5. जोन कार्यालय कोरबा , कोसाबाडी, परिवहन नगर, बालको , दर्री ,बांकीमोंगरा , नगर पालिक निगम कोरबा को सूचनार्थ एवं सूचना फलक में प्रकाशनार्थ ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

D;/Teejram. PM5

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दुरभाष : 07759–221288, फैक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

बाजार शुल्क का अनुसूची परिशिष्ट – 01

कमांक	विवरण	कर या शुल्क की दरें
(1)	उक्त बाजार स्थल के लिए जिसका परिमाप 0.84 वर्गमीटर/(4' X 2') वर्ग फुट से अधिक न हो या उसका भाग हो ।	2.00प्रतिदिन (न्यूनतम)
(2)	उक्त बाजार स्थल के लिए जिसका परिमाप 0.84 वर्गमीटर/(4' X 2') वर्ग फुट से अधिक का हो पर 1.6 वर्गमीटर/(4' X 4') वर्ग फुट से अधिक का न हो या उसका भाग हो ।	4.00 प्रतिदिन
(3)	उक्त बाजार स्थल के लिए जिसका परिमाप 1.6 वर्गमीटर/(4' X 4') वर्ग फुट से अधिक का हो पर 2.5 वर्गमीटर/(5' X 5')वर्ग फुट से अधिक का न हो या उसका भाग हो ।	6.00 प्रतिदिन
(4)	उक्त बाजार स्थल के लिए जिसका परिमाप 2.5 वर्गमीटर/(5' X 5') वर्ग फुट से अधिक का हो।	खण्ड 1 में निर्धारित दरें अतिरिक्त प्रति 0.84 वर्गमीटर/ (4'X2') वर्ग फुट या उसके भाग के लिए 2.00प्रतिदिन

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

D;/Teejram. PM5